(119)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर बेन्च उज्जैन :मध्यप्रदेश:

प्रकरण क्रमांक /२००५ निगरानी.

निगरानी – 1648/रव्क/05

सज्जनसिंह आत्मज लालसिंह जी. जाति राजपूत.
निवासी- ग्राम बड़ागांव तहसील खाचरोद जिला उज्जैन :म०प्र०:.

---- आवेदक.

विरुद्ध

पार्टी/अभिभाषक श्री ... द्वारा प्रस्तुत दिनांक 14/5/05 अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन संभाग

१- दुलेसिंह आत्मज दिलीपसिंह उर्फ दौलतसिंह जी. जाति राजपूत. नि०ग्राम मडावदी तहसील खाचरोद जिला उज्जैन :म०प्र०:.

२- शम्भूसिंह आत्मज कालूसिंह जी जाति राजपूत.

३- बक्तावरसिंह आत्मज लालसिंह जी जाति राजपूत.

समस्त निवासीगण ग्राम बड़ागांव तहसील खाचरोद जिला उज्जैन :मध्यप्रदेश:.

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज 26/9/05 को प्राप्त ... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

------ अनावेदकगण

विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय उज्जैन श्री के०एन०मालवीय के प्रकरण क्रमांक ३/२००४-०५ निगरानी में हुवे आदेश दिनांक २६/४/२००५ के विरुद्ध निगरानी का आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा ५० के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित आधार पर निगरानी आवेदन-पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है ::-

१/- यह कि, आज्ञा जेर निगरानी विधि एवम् विधान तथा तथ्यों के विरुद्ध होकर निरस्त होने योग्य है./

२/- यह कि, विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय उज्जैन ने आवेदक की निगरानी निरस्त करने में वैधानिक भूल की है./

३/- यह कि, उक्त निगरानी में विधि के तथ्य निहित है. जिसका

--- निरन्तर २ पर

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1648-एक/05 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस. भावर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	